

वीरनी संस्थान, जोधपुर

संघ विधान - पत्र



1. संस्था का नाम : इस संस्था का नाम वीरनी संस्थान है व रहेगा।
2. पंजीकृत कार्यालय तथा कार्यक्षेत्र : इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय सत्यनारायण जी दुगट प्लॉट नं. 1, गजेन्द्र नगर, शौभावतों की ढाणी, पाल रोड जोधपुर। इस संस्थान का कार्यक्षेत्र राजस्थान राज्य रहेगा।
3. संस्था के उद्देश्य : संस्था के उद्देश्य निम्न लिखित हैं:-

- समाज के अभिन्न अंग महिलाओं, बालिकाओं एवं बालकों के सर्वांगीण विकास हेतु सर्वेक्षण, महिला स्वावलम्बन, परिवार कल्याण, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, भरण पोषण, एवं शिक्षा-साक्षरता, हेतु विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण, अभियान, शिविर एवं कार्यक्रमों का संचालन करना।
 - महिलाओं और बालिकाओं के शोषण व उत्पीड़न को रोकने हेतु सरकार को सहयोग करना।
 - गांधीजी द्वारा प्रतिपादित रचनात्मक कार्यों, खादी ग्रामोद्योग द्वारा आर्थिक दृष्टि से कमजोर लोगों की सेवा करना और, इसके लिए आवश्यक सभी प्रवृत्तियों का संचालन करना।
- शिक्षण और प्रशिक्षण संस्थाओं का संचालन करना। तथा आर्थिक रूप से कमजोर और असहाय लोगों को उच्च शिक्षा प्रदान करवाने में मदद करना एवं उच्च शिक्षण संस्थान एवं विभिन्न अनुसंधान का संचालन करना।
5. समाज के कमजोर एवं पिछड़े वर्ग विशेषकर आदिवासी, अनुसूचित जाति/जनजाति के सर्वांगीण उत्थान के लिए विभिन्न प्रवृत्तियों को संचालन करना।
- अनाथों, अपाहिजों, परित्याक्तों, विधवा, युद्धो एवं प्राकृतिक प्रकोपों से प्रभावित लोगों की सहायता करना।

जोधपुर, राजस्थान, दिनांक 23/12/15

23/12/15

राजस्थान (संस्था)

जोधपुर



अध्यक्ष

सचिव

कोषाध्यक्ष

NOTARY JODHPUR
23/12/15

7. शिक्षा, साहित्य, विचार, एवं प्रचार द्वारा राष्ट्रीय, धार्मिक एवं सामाजिक गुणों का विकास करना।
8. बाल अपराधियों एवं बाल मजदूरों के उत्थान के लिए कार्य करना।
9. पर्यावरण, जलसंग्रहण, एवं कृषि के संरक्षण कार्यों का संचालन करना।
10. पशु-पक्षीओं का संरक्षण करना।
11. स्वयं सहायता समूह गठित कर लोगों को सहायता प्रदान करना।
12. गांवों व शहरों में जल संरक्षण के लिए कार्य करना।
13. प्रकृतिक आपदाओं में प्रभावित लोगों की मदद को लेकर कार्य करना।
14. महिलाओं हेतु महिला सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान देकर रोजगारोन्मुखी कार्यक्रम चलाना।
15. अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को स्वास्थ्य, एवं शिक्षा से जोड़ने में सहयोग प्रदान करना।
16. अनाथ, लावारिश एवं गम्भीर बीमारी से पीड़ित बच्चों को स्वास्थ्य पोषण एवं शिक्षा के संदर्भ में समेकित विकास की नींव रखना।
17. समाज में गरीब तथा दलित लोगों के लिए उत्थान व विकास के लिए कार्य करना।
18. स्वास्थ्य शिक्षा एवं पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए कार्य करना।
19. विकलांग, मुक बधिर लोगों के जीवन स्तर में गुणवत्ता लाना।
20. बाल विवाह एवं समाज में व्याप्त कुरितियों को समाज से मिटाने हेतु प्रयत्न करना एवं इस हेतु विभिन्न अभियान चलाना।
21. वृद्धजनों एवं गाड़ियां लुहारों को आवश्यक सुविधाएं मुहैया करवाने में सहयोग प्रदान करवाना एवं उनके जीवनस्तर में गुणवत्ता लाना।
22. संस्था के समान विचारधारा वाली राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं एवं नेटवर्कों से जोड़ना।
23. एच. आई. वी. / एड्स के प्रति जन साधारण का ध्यान आकर्षित करना एवं इसके खिलाफ जनजागृति लाना। एच. आई. वी. / एड्स से संक्रमित लोगों की देखभाल के मुद्दे, परामर्श, दवाओं की उपलब्धता करवाना और इस बीमारी से ग्रसीत बच्चों के शिक्षा दिलाने में मदद करना।
24. निम्न प्रकार के चिकित्सा शिविरों का आयोजन करके असहाय लोगों को स्वास्थ्य प्रदान करने में मदद करना।
25. पानी की विषम समस्या से जुड़ा रहे गाँवों में वर्षा के पानी को संग्रहीत करके जल संग्रहण करने की जानकारी देना।

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है



अध्यक्ष

सचिव

कोषाध्यक्ष

NOTARY JODHPUR

4. संस्थान का कार्यभार संस्था के नियमानुसार एक कार्यकारिणी समिति को सौंपा गया है, जिसके प्रथम वर्तमान पदाधिकारी निम्न लिखित हैं।

क्र. सं.	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	पद
1	महेन्द्र शर्मा पुत्र श्री शिवलाल शर्मा	सामाजिक कार्यकर्ता	473, पीपलिया क्षेत्र, वार्ड संख्या 13, जोधपुर।	अध्यक्ष
2	पर्वत सिंह पुत्र श्री गुमान सिंह	समाजिक कार्यकर्ता से.नि. (आर्मी)	1600 नेहरू कॉलोनी, रातानाडा, जोधपुर।	उपाध्यक्ष
3	सियोना कलासुआ पत्नी श्री मनीष	नर्सिंग कर्मी	5/3, मेडिकल हॉस्टल, शास्त्रीनगर, जोधपुर	सचिव
4	प्रदीप गोंधी पुत्र श्री प्यारे लाल	लेखाकार	5/ए-5 3 पुलिया, चौ. हा. बो., जोधपुर।	कोषाध्यक्ष
5	जीवण राम बिदोया पुत्र श्री बस्ता राम	अध्यापक/ सामाजिक कार्यकर्ता	184, सरकारी कॉलोनी, बिरडावास, जोधपुर	सदस्य
6	सुनीता पत्नी श्री राधेश्याम	गृहणी	फुलेराव की घाटी, वार्ड न 23, जोधपुर।	सदस्य
7.	दिनेश कुमार जोशी पुत्र श्री जगदीश चन्द्र	सामाजिक कार्यकर्ता	जाखडी, तहसील रानीवाडा, जालौर	सदस्य

राजस्थान साक्षरता अधिनियम-1958 के

धारा 19 के अन्तर्गत

पहले पत्र (व संस्था के सदस्यों में) प्रेषित किया गया

गये पत्र का क्र. 10 है जो 10/10/58 तक

संख्या 1000 है।

हमने तलब की गई है।

हमने तलब की गई है।

बकल देने का तारीख 21/3/58

राजस्टर (संस्था)

जोधपुर

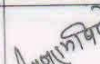
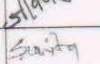
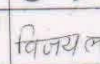
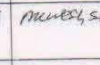
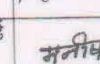
अध्यक्ष

सचिव

कोषाध्यक्ष

NOTARY JOHPUR

5. हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता, जिनके नाम, व्यवसाय व पूर्ण पते निम्न प्रकार हैं, इस संघ विधान पत्र के अन्तर्गत इस संस्था के रूप में गठित होने व इसे रजिस्ट्रीकृत करवाने के इच्छुक हैं :-

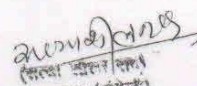
क्र. सं.	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	हस्ताक्षर
1.	महेन्द्र शर्मा पुत्र श्री शिवलाल शर्मा	सामाजिक कार्यकर्ता	473, पीपलिया क्षेत्र, वार्ड संख्या 13, जोधपुर।	
2.	पर्वत सिंह पुत्र श्री गुमान सिंह	समाजिक कार्यकर्ता से.नि. (आर्मी)	1600 नेहरू कॉलोनी, रातानाडा, जोधपुर।	
3.	सियोना कलासुआ पत्नी श्री मनीष	नर्सिंग कर्मी	5/3, मेडिकल हॉस्टल, शास्त्रीनगर, जोधपुर	
4.	प्रदीप गौधी पुत्र श्री प्यारे लाल	लेखाकार	5/ए-5 3 पुलिया, चौ. हा. बो., जोधपुर।	
5.	जीवण राम बिदोया पुत्र श्री बस्ता राम	अध्यापक/ सामाजिक कार्यकर्ता	184, सरकारी कॉलोनी, बिरडावास, जोधपुर	
6.	सुनीता पत्नी श्री राधेश्याम	गृहणी	फुलेराव की घाटी, वार्ड न 23, जोधपुर।	
7.	दिनेश कुमार जोशी पुत्र श्री जगदीश चन्द्र	सामाजिक कार्यकर्ता	जाखडी, तहसील रानीवाडा, जालौर	
8.	डॉ उमेश सिंह पुत्र श्री ओम सिंह	फिजियो थेरेपिस्ट	पचेटिया, हिल वा. 28, नवचौकिया जोधपुर।	
9.	विजयलक्ष्मी पत्नी श्री शिवलाल	गृहणी	473, पीपलिया क्षेत्र, वार्ड संख्या 13, जोधपुर।	
10.	मुकेश शर्मा पुत्र श्री गुगल किशोर शर्मा	स्वयं का व्यवसाय	बिजलीघर, जूनी धान मण्डी, जोधपुर।	
11.	मनीष राव पुत्र श्री क्लोडियस राव	पादरी	5/3, मेडिकल हॉस्टल, शास्त्रीनगर, वार्ड न 19 जोधपुर	
12.	मनीषा श्रीमती श्री सुरेन्द्र शर्मा	गृहणी	473, पीपलिया क्षेत्र, वार्ड संख्या 13, जोधपुर।	
13.	सुरेश किशोर पुत्र श्री नन्द किशोर (संस्थापक)	प्राईवेट नोकरी	नया तलाव, अधरशिला के पास, नागौरी गेट, जोधपुर।	

राजस्थान साक्षरता
आ. 19 के अन्तर्गत
पहले पत्र के अन्तर्गत
नये पत्र के अन्तर्गत
संख्या 14 के अन्तर्गत
ह. न. क. के अन्तर्गत
ह. न. क. के अन्तर्गत
बकल के अन्तर्गत


अध्यक्ष


सचिव

सचिव


कोषाध्यक्ष


कोषाध्यक्ष

NOTAR KODHUR

14	खुशबु शर्मा पुत्री श्री अशोक नारायण	गृहणी	291, जुनी मण्डी, वार्ड संख्या 28, जोधपुर।	खुशबु शर्मा
15	स्टीफन राव पुत्र श्री कनेलियस राव	से.नि. अध्यापक	44, चो. हा. बोर्ड, सेक्टर 11, वार्ड 7, जोधपुर	Stey
16	पुष्पा कँवर पत्नी श्री मुलतान सिंह	गृहणी	7, गाँव तिलया खिन्दाकौर, ओसियां, जोधपुर	पुष्पा कँवर
17	बैरिस्टो मैसी पुत्र श्री आई पी मैसी	से.नि. रेलवे	3 क्यु51, हा.बो.सेक्टर 3 क्यु, कुडी भगतासनी जोधपुर	Bairisto
18	प्रकाश शर्मा पुत्र श्री जुगल किशोर शर्मा	व्यवसायी	383 क, पचेटिया वार्ड 28, जोधपुर।	प्रकाश शर्मा
19	शीला सी. राव पत्नी श्री वलोडियस राव	से.नि. नर्सिंग कर्मी	26, लक्ष्मी लाज, महेश चिल्ड्रन स्कूल के पास वार्ड नं. 17 जोधपुर।	शीला सी. राव
20	राज किशोर कुवेरा पुत्र श्री नन्द किशोर शर्मा	नौकरी / सामाजिक कार्यकर्ता	0, गाँधी नगर, वार्ड नं 62, जोधपुर।	राज किशोर

हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता प्रमाणित करते हैं कि उपरोक्त हस्ताक्षरकर्ताओं को हम जानते हैं व उन्होंने हमारे समक्ष अपने-अपने हस्ताक्षर किये हैं। हम यह भी घोषित करते हैं कि हम संस्था के सदस्य नहीं हैं।

57. सजीव सभ्यता

- राजपत्रित अधिकारी के हस्ताक्षर मेडिकल कॉलेज, जोधपुर।
नाम DR. SANTEE V SANGHVI
व्यवसाय DM CARDIOLOGIST
पूर्ण पता 11/3 Medical college
Campus Shastri Nagar
- राजपत्रित अधिकारी के हस्ताक्षर
नाम Mrs. Satya Sheela Rao
व्यवसाय Lecturer
पूर्ण पता 11/44, C.H.B., Jodhpur.

राजस्थान सतीस 299584

धारा 19 के अन्तर्गत

यह पत्रादि सभा के संबंध में प्रस्तुत विधि

यह पत्र जा कार्यालय को भेजने से पूर्व

संख्या से तक

उपलब्ध है का छाया प्रतिलिपि है

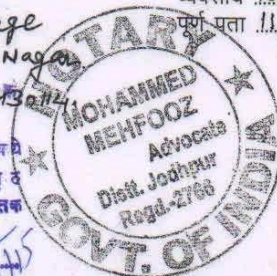
ह. नजल सेंसर करने के लिए

ह. नजल सिलबतकर्ता के

नजल देने का सादर

अध्यक्ष

राजेंद्र सिंह
सचिव



कोषाध्यक्ष

ATTESTED
NOTARY, JODHPUR
23/11/15

6

NOTARY
MOHAMMED
MENFOOZ
Advocate
Dist. Jodhpur

संस्थान है व रहगा

- समाज के अभिन्न अंग महिलाओं, बालिकाओं एवं बालकों के सर्वांगीण विकास हेतु सर्वेक्षण, महिला स्वावलम्बन, परिवार कल्याण, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, भरण, पोषण, एवं शिक्षा-साक्षरता, हेतु विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण, अभियान, शिविर एवं कार्यक्रमों का संचालन करना।
- महिलाओं और बालिकाओं के शोषण व उत्पीड़न को रोकने हेतु सरकार को सहयोग करना।
- गांधीजी द्वारा प्रतिपादित रचनात्मक कार्यों, खादी ग्रामोद्योग द्वारा आर्थिक दृष्टि से कमजोर लोगों की सेवा करना और इसके लिए आवश्यक सभी प्रवृत्तियों का संचालन करना।
- शिक्षण और प्रशिक्षण संस्थाओं का संचालन करना। तथा आर्थिक रूप से कमजोर और असहाय लोगों को उच्च शिक्षा प्रदान करवाने में मदद करना। एवं उच्च शिक्षण संस्थान एवं विभिन्न अनुसंधान का संचालन करना।
- समाज के कमजोर एवं पिछड़े वर्ग विशेषकर आदिवासी, अनुसूचित जाति, जनजाति के सर्वांगीण उत्थान के लिए विभिन्न प्रवृत्तियों को संचालन करना।


अध्यक्ष

सचिव

Bulz
कोषाध्यक्ष

NOTARY PUBLIC
29/8/15

- (8)
6. अनाथों, अपाहिजों, परित्याक्तों, विधवा, वृद्धों एवं प्राकृतिक प्रकोपों से ग्रसित लोगों की सहायता करना।
 7. शिक्षा, साहित्य, विचार, एवं प्रचार द्वारा राष्ट्रीय, धार्मिक एवं सामाजिक गुणों का विकास करना।
 8. बाल अपराधियों एवं बाल मजदूरों के उत्थान के लिए कार्य करना।
 9. पर्यावरण, जलसंग्रहण, एवं कृषि के संरक्षण कार्यों का संचालन करना।
 10. पशु-पक्षीओं का संरक्षण करना।
 11. स्वयं सहायता समूह गठित कर लोगों को सहायता प्रदान करना।
 12. गांवों व शहरों में जल संरक्षण के लिए कार्य करना।
 13. प्राकृतिक आपदाओं में प्रभावित लोगों की मदद को लेकर कार्य करना।
 14. महिलाओं हेतु महिला सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान देकर रोजमर्रा के कार्यक्रम चलाना।
 15. अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को स्वास्थ्य, एवं शिक्षा से जोड़ने में सहयोग प्रदान करना।
 16. अनाथ, लावारिश एवं गंभीर बीमारी से पीड़ित बच्चों को स्वास्थ्य पोषण एवं शिक्षा के संदर्भ में समेकित विकास की नींव रखना।
 17. समाज में गरीब तथा दलित लोगों के लिए उत्थान व विकास के लिए कार्य करना।
 18. स्वास्थ्य शिक्षा एवं पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए कार्य करना।
 19. विकलांग, मुक बधिर लोगों के जीवन स्तर में गुणवत्ता लाना।
 20. बाल विवाह एवं समाज में व्याप्त कुरितियों को समाज से मिटाने हेतु प्रयत्न करना एवं इस हेतु विभिन्न अभियान चलाना।
 21. वृद्धजनों एवं गाड़ियां लुहारों को आवश्यक सुविधाएं मुहैया करवाने में सहयोग प्रदान करवाना एवं उनके जीवनस्तर में गुणवत्ता लाना।
 22. संस्था के समान विचारधारा वाली राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं एवं नेटवर्कों से जोड़ना।

एड्स के प्रति जन साधारण का ध्यान आकर्षित करना
 19 के अंतर्गत व इसके खिलाफ जनजागृति लाना। एड्स से
 ग्रसित लोगों की देखभाल के मुद्दे, परामर्श, दवाओं की उपलब्धता
 वये पत्र के प्रकाशन के माध्यम से बीमारी से ग्रसित बच्चों के शिक्षा दिलाने में मदद
 करना।
 24. विभिन्न प्रकार के चिकित्सा शिविरों का आयोजन करके असहाय लोगों
 को स्वास्थ्य प्रदान करने में मदद करना।

राजस्थान (संस्थाएं)
 कोषाध्यक्ष

अध्यक्ष

सचिव

कोषाध्यक्ष

NOTARY JODHPUR

90

9. साधारण सभा के अधिकार और कर्तव्य :-

साधारण सभा के निम्न लिखित अधिकार और कर्तव्य होंगे :-

1. कार्यकारिणी का चुनाव करना।
2. वार्षिक बजट पारित करना।
3. कार्यकारिणी द्वारा किये गये कार्यों की समीक्षा करना व पुष्टि करना।
4. संस्था के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से विधान में संशोधन, परिवर्तन अथवा परिवर्द्धन करना।
(जो रजिस्ट्रार के कार्यालय में फाइल कराया जाकर प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने पर लागु होगा)
5. चुनाव अधिकारी नियुक्ति करना।
6. वार्षिक ऑडिटर की नियुक्ति करना।
7. संस्था की सम्पत्ति आदि की सुरक्षा।
8. समय-समय पर प्रबन्ध समिति को आवश्यक दिशा निर्देश देना।



10. साधारण सभा की बैठकें :-

1. साधारण सभा की वर्ष में एक बैठक अनिवार्य होगी लेकिन आवश्यकता पडने पर विशेष सभा अध्यक्ष/सचिव द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी।
2. साधारण सभा की बैठक का कोरम कुल सदस्यों का 2/3 होगा।
3. बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व व अत्यावश्यक बैठक की सूचना 3 दिन पूर्व दी जायेगी।
4. कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी जो पुनः 7 दिन पश्चात निर्धारित स्थान व समय पर आहुत की जा सकेगी। ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की कोई आवश्यकता नहीं होगी लेकिन विचारणीय विषय वही होंगे जो पूर्व एजेण्डा में थे।



राजस्थान सांसाधन अधिनियम-1958 के

धारा 19 के अन्तर्गत कार्यकारिणी का गठन :-

पहले पत्र में संस्था के कार्य को सुचारु रूप से चलाने के लिए एक कार्यकारिणी का गठन किया जायेगा, जिसके पदाधिकारी व सदस्य निम्न होंगे।

1. अध्यक्ष - एक
2. उपाध्यक्ष - एक
3. सचिव - एक
4. कोषाध्यक्ष - एक
5. सदस्य - तीन

इस प्रकार कार्यकारिणी में चार (4) पदाधिकारी व तीन (3) सदस्य कुल सात (7) सदस्य होंगे।

अध्यक्ष

सचिव

कोषाध्यक्ष

10

12. कार्यकारिणी का निर्वाचन :-

1. संस्था की कार्यकारिणी का चुनाव 2 वर्ष की अवधि के लिए साधारण सभा द्वारा किया जावेगा।
2. चुनाव प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा किया जायेगा।
3. चुनाव अधिकारी की नियुक्ति प्रबन्ध कार्यकारिणी द्वारा की जायेगी।

13. कार्यकारिणी के अधिकार और कर्तव्य :-

- संस्था की कार्यकारिणी के निम्नलिखित अधिकार व कर्तव्य होंगे :-
1. सदस्य बनाना/निष्कासित करना।
 2. वार्षिक बजट तैयार करना।
 3. संस्था की सम्पत्ति की सुरक्षा करना।
 4. वैतनिक कर्मचारियों की नियुक्ति करना तथा उनके वेतन भत्तों का निर्धारण करना, उन्हें सेवा मुक्त करना।
 5. साधारण सभा द्वारा पारित निर्णयों को क्रियान्वित करना एवं कार्य व्यवस्था हेतु उप समितियां बनाना।
 6. अन्य कार्य जो संस्था के हितार्थ हो, करना।

14. कार्यकारिणी की बैठकें :-

1. कार्यकारिणी की वर्ष में कम से कम 5 बैठकें अनिवार्य होगी लेकिन आवश्यकता पड़ने पर विशेष सभा अध्यक्ष/सचिव द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेंगी।
2. बैठक का कोरम कार्यकारिणी की कुल संख्या के आधे से अधिक होगा।
3. बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व व अत्यावश्यक बैठक की सूचना परिचालन से कम समय में भी दी जा सकती है।
4. कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी जो पुनः दूसरे दिन निर्धारित स्थान व समय पर होगी। ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन विचारणीय विषय वहीं होंगे जो पूर्व एजेन्डा में थे। ऐसी स्थगित बैठक में उपस्थित सदस्यों के अतिरिक्त कार्यकारिणी के कम से कम दो पदाधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। इस सभा की कार्यवाही की पुष्टि आगामी आम सभा में कराना आवश्यक होगा।

राजस्थान साक्षरता अभियान-1998 के
अनुच्छेद 19 के अन्तर्गत
यह पत्र 1 व 2 के अन्तर्गत
तय्यार किया गया है।
संख्या.....
उपलब्ध है।
ह. न. क. ल. त. स. र. क.
ह. न. क. ल. त. स. र. क.
सकल बेने का तारांक 213/15

राजस्थान (संस्थाएं)
जोधपुर

अध्यक्ष

सचिव

कोषाध्यक्ष

ATTESTED
NOTARY, JODPUR

11
12

15. कार्यकारिणी के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य :-

संस्था के कार्यकारिणी के अधिकार व कर्तव्य निम्न प्रकार होंगे। :-

1. अध्यक्ष

1. बैठकों की अध्यक्षता करना।
2. मत बराबर आने पर निर्णायक मत देना।
3. बैठकें आहूत करना।
4. संस्था का प्रतिनिधित्व करना।
5. संविदा तथा अन्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना।

2. उपाध्यक्ष

1. अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का प्रयोग करना।
2. कार्यकारिणी द्वारा प्रदत्त अन्य अधिकारों का उपयोग करना।

3. सचिव

1. बैठकें आहूत करना।
2. कार्यवाही लिखना तथा रिकार्ड रखना।
3. आय-व्यय पर नियन्त्रण करना।
4. वैतनिक कर्मचारियों पर नियन्त्रण करना तथा उनके वेतन व यात्रा बिल आदि पास करना।
5. संस्था का प्रतिनिधित्व करना व कानूनी दस्तावेजों पर संस्था की ओर से हस्ताक्षर करना।
6. पत्र व्यवहार करना।
7. सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु वैधानिक अन्य कार्य जो आवश्यक हों।

4. कोषाध्यक्ष

1. वार्षिक लेखा-जोखा तैयार करना।
2. दैनिक लेखों पर नियन्त्रण रखना।
3. चन्द्रधर शुक्ल / अनुदान आदि प्राप्त कर रसीद देना।
4. अन्य प्रमुख कार्य सम्पन्न करना।

संस्थान साक्षात् 1958
प्रा. 19 के अंतगत
यह पत्र 14 स. 14
14 स. 14
संख्या 14
अपलब्ध है
ह. न. 14
ह. न. 14
बकल देने का ताराख

राजस्थान (संस्थाएं)
कोषाध्यक्ष

अध्यक्ष

सचिव

कोषाध्यक्ष

ATTESTED
29/11/15

16 संस्था का कोष :-

संस्था का कोष निम्न प्रकार से संचित होगा :

1. चन्दा, शुल्क, अनुदान, सहायता, राजकीय अनुदान आदि से संचित राशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में सुरक्षित रखी जायेगी।
2. अध्यक्ष/सचिव/कोषाध्यक्ष में से कुन्ही दो पदाधिकारियों के संयुक्त हस्ताक्षरों से बैंक से लेन देन संभव होगा।

17. कोष सम्बन्धी विशेषाधिकार :-

संस्था के हित में तथा कार्य व समय की आवश्यकतानुसार निम्न पदाधिकारी संस्था की राशि एक मुश्त स्वीकृत कर सकेंगे।

1. अध्यक्ष - 20,000 रुपये।
2. सचिव - 15,000 रुपये।
3. कोषाध्यक्ष - 10,000 रुपये।

उपरोक्त राशि का अनुमोदन कार्यकारिणी से कराया जाना आवश्यक होगा।
अंकेक्षक की नियुक्ति कार्यकारिणी द्वारा की जायेगी।

18. संस्था का अंकेक्षण :-

संस्था के समस्त लेखों जोखों का वार्षिक अकक्षण कराया जायेगा व ऑडिटर की नियुक्ति साधारण सभा द्वारा की जायेगी।

19. संस्था का विधान में परिवर्तन :-

संस्था के विधान में आवश्यकतानुसार साधारण सभा के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से परिवर्तन, परिवर्द्धन अथवा संशोधन किया जा सकेगा जो रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा 12 के अनुरूप होगा।

20. संस्था का विघटन :-

यदि संस्था का विघटन आवश्यक हुआ, तो संस्था की समस्त चल व अचल

सम्पत्ति संस्था उद्देश्य वाली संस्था को हस्तान्तरित कर दी जावेगी लेकिन 1-जनवरी-1958 के उक्त समस्त कार्यवाही राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा 13 व 14 के अनुरूप होगी।

या के लेखे में जोड़े का निरीक्षण :-

रजिस्ट्रार, जोधपुर को संस्था के रिकार्ड का निरीक्षण/जाँच करने का पूर्ण अधिकार होगा व उनके द्वारा दिये गये सुझावों की पूर्ति की जायेगी।

श्री 379 जाता है कि उक्त विधान (नियमावली) वीरनी संस्थान, जोधपुर
सही सच्ची प्रति है। (1) सरस्वा का मातृका संस्था 278/1/10/14

राजस्टर (संस्थाएं)
बोम्बे

अध्यक्ष

सचिव

कोषाध्यक्ष

4231215